

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठारीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
23.12.2021

मिसल नम्बर  
103/2021/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा  
09.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स सुरेश ऑयल मिल  
प्लाट नं. ई-257,आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड एरिया निवाई राज0 निवासी जी-25 भगत सिंह  
कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011  
उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—:

दिनांक 23.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 18.10.2021 को समय 12.54 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सुरेश ऑयल मिल प्लाट  
नं. ई-257,आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड एरिया निवाई राज0पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत  
से श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स सुरेश ऑयल मिल  
प्लाट नं. ई-257,आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड एरिया निवाई राज0 निवासी जी-25 भगत सिंह  
कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को  
अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर  
प्रतिष्ठान/मिल का मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर  
किया

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मिल मे  
मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) रखा  
हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री प्रदीप कुमार जैन  
को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की  
रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता प्रदीप कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने  
हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक द्वारा गोदाम में 15 किलोग्राम पैक के 313 टिन पैक मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) रखे हुये में से एक टिन को खोलकर 1600 ग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री प्रदीप कुमार जैन को रू0 300/-अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) 1600 ग्राम के नियमानुसार चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशि में 400-400 ग्राम भरकर प्लास्टिक की शिशियो को अच्छी तरह एयर टाईट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2947 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2947 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. प्रदीप कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3170 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1313/एक्ट/2021/1293 दिनांक 30.10.2021 अनुसार प्रदीप कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।



53

अतिरिक्त जिन्ना माजिस्ट्रेट  
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मूंगफली तेल ट्रक ब्राण्ड टिन पैक (Groundnut Oil Truck Brand Tin Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स सुरेश ऑयल मिल प्लाट नं. ई-257,आईआईडी सेन्टर रीको इण्ड एरिया निवाई राज0 निवासी जी-25 भगत सिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



23-12-2021  
(मसारी लाल शर्मा)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0